सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत
स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 01

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

(Particulars of Organization, Functions and Duties)

1.1 संगठन का नाम और पता

- **विभाग का नाम:** ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
- **मुख्यालय/आयुक्तालय का नाम व पता:** कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी - 246001
- **कैम्प कार्यालय:** सर्वे चौक, देहरादून / तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
- **आधिकारिक वेब पोर्टल:** www.ukrd.uk.gov.in / राज्य नोडल पोर्टल www.chamoli.gov.in (जनपदीय)
- **आधिकारिक ई-मेल:** dcprogramme303@gmail.com
- **दूरभाष/फैक्स:** 01368-222920 / 0135-2769627।

1.2 संगठन का प्रमुख

- **शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख:** सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- **विभागाध्यक्ष एवं तकनीकी प्रमुख:** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1895/तीस-1-16-12(7)2016 दिनांक 09 अगस्त, 2016 के प्रस्तर 3.3 के अनुसार अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग पदेन आयुक्त, ग्राम्य विकास के रूप में विभागाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में यह पद श्रीमती अनुराधा पाल (आई.ए.एस.), अपर सचिव/आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा धारित है।

- **क्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रशासनिक स्तर पर:**
 1. जनपद स्तर पर: मुख्य विकास अधिकारी (प्रशासनिक प्रमुख) एवं जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)।
 2. विकास खण्ड स्तर पर: खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)।
 3. ग्राम स्तर पर: ग्राम विकास अधिकारी (वी.डी.ओ.) / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पदेन सचिव)।

1.3 विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य

(क) विजन (Vision)

"ग्रामीण उत्तराखण्ड का समग्र, सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक निर्धन परिवार को स्थायी आजीविका से जोड़ना, बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण करना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के माध्यम से राज्य से हो रहे पलायन पर प्रभावी विराम लगाना।"

(ख) मिशन (Mission)

1. **श्रम व आजीविका सुरक्षा:** ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक इच्छुक अकुशल श्रमिक परिवार को न्यूनतम 100 से 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार (VB-GRAM G योजना) उपलब्ध कराना तथा मजदूरी का समयबद्ध भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सुनिश्चित करना।

2. **संस्थागत महिला सशक्तिकरण:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-एन.आर.एल.एम. के तहत प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार की महिला को स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन (VO) एवं संकुल स्तरीय संघ (CLF) में संगठित कर 'लखपति दीदी' के रूप में रूपांतरित करना।

3. **शत-प्रतिशत पक्का आवास:** प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं पीएम-जनमन के अंतर्गत चिन्हित सभी कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में निवासरत परिवारों और पीवीटीजी (राजी/बुक्सा) समुदायों को बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना।

4. **सर्वऋतु संपर्क सुविधा:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं 'मेरा गांव मेरी सड़क' के माध्यम से 250+ आबादी वाली समस्त असंयोजित बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ना।

5. **ग्रामीण उद्यमिता एवं मूल्य संवर्धन:** रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना), REAP (ग्रामोत्थान) और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के माध्यम से स्थानीय कृषि, औद्यानिकी और हस्तशिल्प उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग, पैकेजिंग व फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करना।

6. **सीमांत एवं आकांक्षी क्षेत्रों का विकास:** वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना (MBADP) द्वारा सामरिक दृष्टि से संवेदनशील भारत-चीन व नेपाल सीमा के 0–10 किमी परिधि के गांवों का सर्वांगीण बुनियादी विकास कर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना।

(ग) मुख्य उद्देश्य (Objectives)

- बहुआयामी गरीबी रेखा (MPI) के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के साधनों से संतृप्त करना।

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) के तहत जल संरक्षण, अमृत सरोवरों का निर्माण/जीर्णोद्धार, भू-संरक्षण और वनीकरण के माध्यम से पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करना।

- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) के साथ शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समन्वय कर पारदर्शी योजना निर्माण, निष्पादन एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) सुनिश्चित करना।

- 08 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों (ETC) एवं उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान (UIRD & PR, रुद्रपुर) के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, कार्मिकों और महिला समूहों का निरंतर क्षमता संवर्धन (Capacity Building) करना।

1.4 कार्य और कर्तव्य (Functions and Duties)

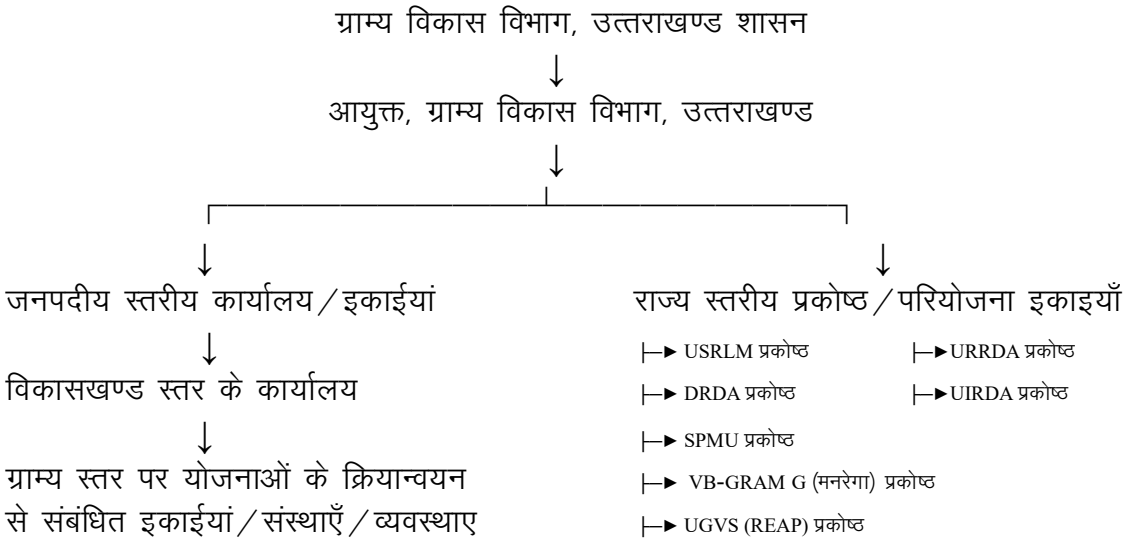
विभागाध्यक्ष (आयुक्तालय, पौड़ी) से लेकर फील्ड स्तर तक विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य संपादित किए जाते हैं:

क्र. सं.	कार्य का क्षेत्र	प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व
1.	**नीति निर्धारण एवं योजना समन्वय**	केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप वार्षिक कार्ययोजना (AAP), परिणामी बजट (Outcome Budget) तैयार करना एवं रेखीय विभागों के साथ अभिसरण (Convergence) स्थापित करना।
2.	**रोजगार गारंटी (VB-GRAM G / MGNREGA)**	ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, मांग पर 15 दिन में रोजगार देना, 300 रु. प्रतिदिन की दर से मजदूरी का बैंक खातों में समयबद्ध अंतरण और बेरोजगारी भत्ते का नियमन।
3.	**स्वरोजगार एवं वित्तीय समावेशन (NRLM / REAP)**	स्वयं सहायता समूहों का गठन, परिक्रामी निधि (RF - ₹15,000–30,000), सामुदायिक निवेश कोष (CIF - ₹1.50 लाख तक), कैश क्रेडिट लिंकेज (CCL) और ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध कराना।
4.	**कौशल विकास (DDU-GKY / R-SETI)**	15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवक-युवतियों को आवासीय/गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण देकर संगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी युक्त रोजगार सुनिश्चित कराना।
5.	**ग्रामीण आवास (PMAY-G / PM-JANMAN)**	सामाजिक-आर्थिक सर्वे एवं आवास प्लस सूची के आधार पर ₹1.30 लाख (सामान्य/पर्वतीय) तथा ₹2.00 लाख (पीएम-जनमन पीवीटीजी हेतु) की 3 किस्तों में सहायता, साथ ही ₹12,000 शौचालय अनुदान व 95 दिन का मनरेगा श्रमांश जोड़ना।
6.	**ग्रामीण संपर्क मार्ग एवं अवस्थापना (PMGSY / MMGSY)**	सड़कों और पुलों का निर्माण, एनपीवी/भूमि प्रतिकर निस्तारण, ई-मार्ग द्वारा 5-वर्षीय अनुरक्षण (PBMC), और 'मेरा गांव मेरी सड़क' के तहत दुर्गम गांवों को जोड़ना।

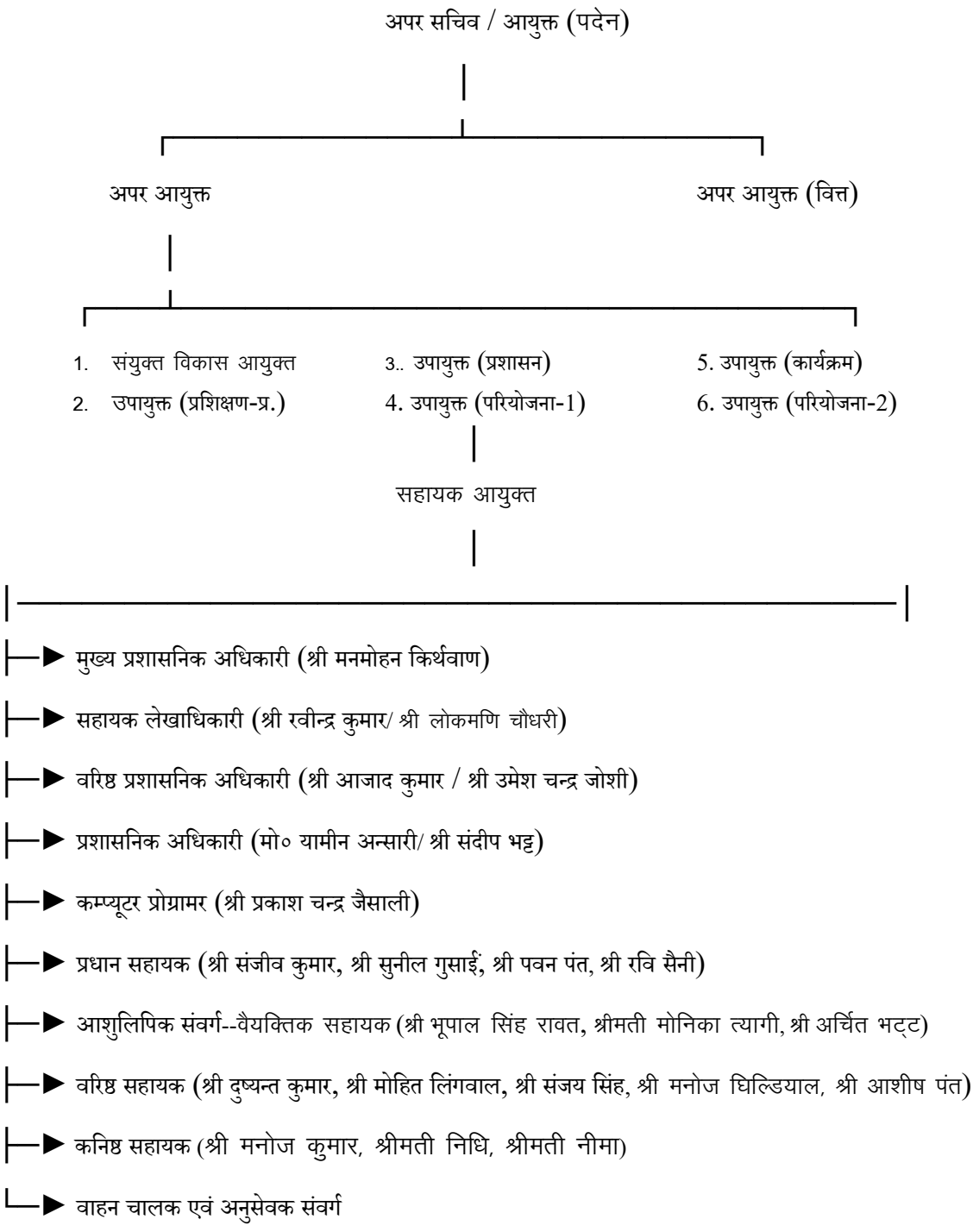
क्र. सं.	कार्य का क्षेत्र	प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व
7.	**उद्यमिता इन्क्यूबेशन एवं विपणन (RBI / HOH)**	दुगड्डा (पौड़ी) व हवालबाग (अल्मोड़ा) हब तथा 11 स्पोक्स के माध्यम से उद्यमियों को तकनीकी व विधिक परामर्श, मेंटरशिप तथा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड से उत्पादों का राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विपणन।
8.	**सीमांत क्षेत्र विकास (VVP / MBADP)**	उत्तरी सीमा के चयनित 91 गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तथा 5 सीमांत जिलों के 9 ब्लॉकों में बुनियादी अवस्थापना, सौर ऊर्जा, ईको-टूरिज्म और आजीविका क्लस्टर संतृप्तिकरण।
9.	**प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास**	UIRD रुद्रपुर और 8 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों (हल्द्वानी, हवालबाग, थरकोट, गोपेश्वर, शंकरपुर, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रपुर) द्वारा सतत प्रशिक्षण एवं कैडर विकास।
10.	**सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण**	उसाटा (USATA) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में निष्पक्ष सोशल ऑडिट, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1905), सीपीग्राम्स और सूचना का अधिकार अधिनियम का पारदर्शी अनुपालन।

1.5 संगठन चार्ट (Organizational Chart)

(क) ग्राम्य विकास विभाग का बहु.स्तरीय प्रशासनिक ढांचा



(ख) आयुक्तालय, ग्राम्य विकास (मुख्यालय, पौड़ी) की आंतरिक संरचना



1.6 विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन एवं समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उत्पत्ति

- **अखिल भारतीय संदर्भ:** भारत सरकार में ग्रामीण विकास की महत्ता को देखते हुए अक्टूबर 1974 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन 'Department of Rural Development' का गठन किया गया। 18 अगस्त 1979 को इसे स्वतंत्र 'ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय', 23 जनवरी 1982 को 'ग्रामीण विकास मंत्रालय', और अंततः 1999 में पुनर्गठित कर वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वरूप दिया गया।

- **उत्तर प्रदेश संदर्भ:** अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 तक ग्रामीण विकास कार्य कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) शाखा के अधीन संचालित होते थे। वर्ष 1985 में स्वतंत्र 'ग्राम्य विकास विभाग' की स्थापना हुई, जिसके प्रथम आयुक्त श्री आर.एस. टोलिया (आई.ए.एस.) पदस्थ हुए।

- **उत्तराखण्ड राज्य में स्थापना:** 09 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय यह कार्य शासन स्तर से देखा गया। तदोपरांत शासनादेश संख्या 149/व.ग्रा.वि.वि./2001 दिनांक 27 अगस्त 2001 द्वारा ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (RES) को सम्मिलित करते हुए 01 जून 2001 से संयुक्त निदेशालय के रूप में मुख्यालय **पौड़ी (गढ़वाल)** में स्थापित किया गया।

- **निदेशालयों का पृथक्करण:** प्रशासनिक दक्षता के दृष्टिगत कालांतर में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (वर्तमान ग्रामीण निर्माण विभाग) को पृथक कर उनके स्वतंत्र निदेशालय देहरादून में स्थापित किए गए, जबकि **ग्राम्य विकास विभाग का मूल मुख्यालय पौड़ी में ही यथावत रखा गया।**

- **संवर्गीय पुनर्गठन का विकासक्रम:**
 - **शासनादेश 610/XI/05 दिनांक 24 जून 2005:** निदेशालय एवं जनपदीय कार्यालयों का व्यापक पुनर्गठन करते हुए कुल 2,694 पदों की संरचना स्वीकृत की गई।
 - **शासनादेश 473/XI/2004 दिनांक 16 जून 2004:** राज्य में 5 क्षेत्रीय एवं 3 जनपदीय ग्राम्य विकास संस्थानों को उच्चीकृत कर 08 प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (ETC) तथा आयुक्तालय में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया (कुल 254 पद)।
 - **शासनादेश 1320/XI/2008 दिनांक 10 दिसम्बर 2008:** मिनिस्ट्रीयल, लेखा, आशुलिपिक एवं वाहन चालक संवर्गों का पुनर्गठन व स्टाफिंग पैटर्न का निर्धारण।
 - **शासनादेश 572/XI/10 दिनांक 03 मई 2010 एवं PDS नियमावली 2011 (अधिसूचना 935):** प्रादेशिक विकास सेवा (PDS) संवर्ग का गठन किया गया, जिसके तहत 95 बीडीओ, 34 डीडीओ/सहायक आयुक्त/एपीडी, 13 परियोजना निदेशक, 08 सीडीओ/उपायुक्त तथा 01 अपर आयुक्त सहित कुल 151 पदों का संवर्ग सृजित हुआ।
 - **डीआरडीए कार्मिकों का राजकीयकरण (शासनादेश 4800/2013, 637/2014 एवं 1037/2015):** जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (DRDA) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए प्रत्येक जनपद में "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" के 209 पदों का सृजन किया गया।
 - **शासनादेश 13/XI/(3)16 दिनांक 11 जनवरी 2017:** मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक संवर्ग को पृथक करते हुए मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु मुख्यालय पर 23 पद तथा जनपदों हेतु 402 पदों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया।

- **शासनादेश 158159/XI/2023 दिनांक 04 अक्टूबर 2023:** उत्तरकाशी एवं चमोली के सीडीओ (PDS कोटा) के पदनाम को परिवर्तित कर राज्य स्तर पर **उपायुक्त (परियोजनाएं)** के 02 पद सृजित किए गए।
- **उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026:** मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग एवं प्रशिक्षण संवर्ग के मध्य 75:25 का पदोन्नति अनुपात निर्धारित किया गया तथा 'संयुक्त सचिव' के पदनाम को **'संयुक्त विकास आयुक्त'** से प्रतिस्थापित किया गया।

2. समय-समय पर गठित बोर्ड, परिषदें एवं आयोग

1. **ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड:**
 - **स्थापना व पुनर्गठन:** ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की रोकथाम और संतुलित विकास हेतु शासनादेश संख्या 1357 दिनांक 25.08.2017 द्वारा आयोग का गठन किया गया, जिसे शासनादेश संख्या 1/67810/2022 दिनांक 06.10.2022 द्वारा 'ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग' नाम दिया गया।
 - **संरचना:** अध्यक्ष- मा० मुख्यमंत्री जी (पदेन); उपाध्यक्ष- 01; सदस्य- 05 विशिष्ट विशेषज्ञ; सदस्य सचिव- अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी (पदेन)।
 - **कृत्य:** राज्य के पलायन प्रभावित 474 गांवों का सर्वे, 25 विषयगत सिफारिशी रिपोर्टें शासन को प्रस्तुत करना और रिवर्स माइग्रेशन योजनाओं का मूल्यांकन।
2. **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) का राजकीयकरण एवं 'गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ' का गठन**

 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

 - जिला स्तर पर केंद्र व राज्य पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समन्वय, अनुश्रवण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु वर्ष 1980 में प्रत्येक जनपद में 'जिला ग्राम्य विकास अभिकरण' (DRDA) की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था (सोसाइटी) के रूप में की गई थी।
 - 73वें संविधान संशोधन के उपरांत डीआरडीए के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा कार्यकारी निदेशक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया।

 राजकीयकरण का नीतिगत निर्णय:

 - डीआरडीए में कार्यरत कार्मिकों के संवर्ग एवं सेवा संबंधी अनिश्चितताओं के समाधान हेतु मा० मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शासन के **शासनादेश संख्या 4800/XI/13/53(07)2011 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013** द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनात नियमित कार्मिकों को औपचारिक रूप से **राज्य कर्मचारी (राजकीय कार्मिक)** घोषित किया गया।
 - इसके उपरांत **शासनादेश संख्या 637/XI/14/53(07)2011 दिनांक 26 फरवरी, 2014** के माध्यम से इन कार्मिकों को उनकी प्रथम मौलिक नियुक्ति की तिथि से समस्त सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) अनुमन्य किए गए।

प्रकोष्ठ का औपचारिक गठन एवं संवर्गीय पद संरचना:

- **कार्यालय ज्ञाप संख्या 1037/XI/15/53(07)11 दिनांक 26 मई, 2015** के द्वारा प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन **"गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ"** का गठन किया गया।
- डीआरडीए के समस्त नियमित कार्मिकों को उक्त प्रकोष्ठ के सापेक्ष पदस्थापित मानते हुए उन्हें ग्राम्य विकास विभाग का पूर्णतः शासकीय सेवक बनाया गया।
- इस व्यवस्था के तहत 13 जनपदों हेतु विभिन्न श्रेणियों के **कुल 209 पद** (यथा- सहायक अभियंता 11, अर्थ एवं संख्याधिकारी 07, सहायक संख्याधिकारी 15, कनिष्ठ अभियंता 10, अन्वेषक तकनीकी 04, कार्यालय अधीक्षक 11, लेखाकार 16, सहायक लेखाकार 26, कनिष्ठ लेखा लिपिक 15, कनिष्ठ सहायक 42, वाहन चालक 13, आशुलिपिक 09 तथा अनुसेवक 30) पुनर्गठित/स्वीकृत किए गए।

वर्तमान प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था:

- **वेतन एवं बजट व्यवस्था:** प्रकोष्ठ में तैनात कार्मिकों के वेतन, भत्तों एवं अधिष्ठान व्यय का आहरण राज्य बजट के **अनुदान संख्या-019 के लेखाशीर्ष 2515-00-102-32 (गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान)** से किया जाता है।
- **प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण:** प्रकोष्ठ के कार्मिकों के विभागाध्यक्ष **आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग** तथा जनपद स्तर पर नियंत्रक अधिकारी **मुख्य विकास अधिकारी (CDO)** हैं।
- **मृत संवर्ग (Dying Cadre) का प्राविधान:** प्रकोष्ठ में सृजित पदों को (मृतक आश्रित को छोड़कर) मृत संवर्ग घोषित किया गया है, जिसके अनुसार इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत कोई नई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी तथा भविष्य में कार्य आवश्यकतानुसार पदों की पूर्ति ग्राम्य विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी।
- **योजना क्रियान्वयन दायित्व:** प्रकोष्ठ के कार्मिक जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित होने वाली समस्त केंद्रीय एवं राज्य पोषित योजनाओं (यथा- NRLM, PMAY-G, REAP आदि) के पर्यवेक्षण, वित्तीय लेखा एवं भौतिक क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।

3. **दिशा (DISHA) - जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति:**

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशानुसार पूर्ववर्ती सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को पुनर्गठित कर 'दिशा' का स्वरूप दिया गया।
- **अध्यक्ष:** संबंधित जनपद के वरिष्ठ लोकसभा सांसद।
- **सह-अध्यक्ष:** अन्य संबंधित लोकसभा सांसद।
- **सदस्य सचिव:** जिलाधिकारी।
- **सदस्यगण:** समस्त क्षेत्रीय विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, समस्त ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी व रेखीय विभागों के अधिकारी।
- **कृत्य:** केंद्र पोषित समस्त 40+ विकास योजनाओं की भौतिक-वित्तीय गुणवत्ता व पारदर्शिता की त्रैमासिक समीक्षा।

4. **उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (URRDA):**

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 2003 में गठित स्वायत्तशासी संस्था।

- **शासी निकाय:** अध्यक्ष- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) / उपाध्यक्ष- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
- **कार्यकारिणी समिति:** अध्यक्ष- मुख्य सचिव; सदस्य सचिव- अपर सचिव / मुख्य अभियंता, URRDA

5. **उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD & PR, रुद्रपुर):**
 - सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 2002 में स्थापित राज्य का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान।
 - **शासी निकाय:** अध्यक्ष- मा० ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड; उपाध्यक्ष- मुख्य सचिव; सदस्य- सचिव ग्राम्य विकास, वित्त, कार्मिक, नियोजन, महानिदेशक ATI नैनीताल; सदस्य सचिव- अधिशासी निदेशक, UIRD
6. **उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) एवं SPMU:**
 - DAY-NRLM के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय पंजीकृत सोसाइटी।
 - **अध्यक्ष:** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/अपर सचिव।
7. **उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी (UPASaC) एवं REAP (ग्रामोत्थान):**
 - कम्पनीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन निकाय (SPV), जो IFAD पोषित 2778.68 करोड़ की ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना का वित्तीय समन्वय व मूल्य श्रृंखला प्रबंधन करती है।
8. **उत्तराखण्ड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (USAATA):**
 - मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के पारदर्शी निष्पादन हेतु स्थापित स्वतंत्र राज्य स्तरीय सोशल ऑडिट निदेशालय।
9. **राज्य स्तरीय संचालन समिति (SLSC) - रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर (RBI):**
 - **गठन:** शासनादेश संख्या 827 दिनांक 25.07.2020 एवं 1/55545/2022 दिनांक 12.08.2022।
 - **संरचना:** अध्यक्ष- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग; सदस्य संयोजक- मुख्य परिचालन अधिकारी (COO, RBI); सदस्य- सीईओ USRLM, परियोजना निदेशक REAP, एमडी उपासक, सीजीएम नाबार्ड, एसएलबीसी समन्वयक एवं संबंधित तकनीकी निदेशक।